The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 3—DECEMBER 9, 2005 (AGRAHAYANA 12, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके। (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2 [PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली-110004, दिनांक 18 नवम्बर 2005

सं. ए-34011/4/01-प्रशासन--श्रीमती एस. आर. रखेजा 1 नवंबर, 2005 के पूर्वाह से राष्ट्रपति सचिवालय में, राष्ट्रपति के सचिव के प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्ति की जाती है।

आर. एस. राणा, अवर सचिव (प्रशा.)

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 नवम्बर 2005

सं. आर.एस./3(xiii)/2005/54-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापित ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत वरिष्ठ सुरक्षा सहायक, श्री सुरेन्द्र सिंह को 10 नवम्बर 2005 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस

सचिवालय में 8,000-275-13,500/-रुपये के वेतनमान में सुरक्षा अधिकारी के संवर्ग में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

प्र. रं. गुहाराय, निदेशक

सं. आर.एस./3(xi)/2005/55-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापित ने राज्य सभा सचिवालय में 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में कार्यरत संपादक, श्री विजय कांत श्रीवास्तव को 10 नवम्बर 2005 के पूर्वाह से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 12,000-375-16,500/-रुपये के वेतनमान में वरिष्ठ संपादक के संवर्ग में स्थानापत्र रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

प्र. रं. गुहाराय, निदेशक

सं. आरएस./3(xi)/2005/56-कार्मिक---राज्य सभा के माननीय सभापित ने राज्य सभा सिचवालय में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान

में कार्यरत सहायक संपादक श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट को 10 नवम्बर 2005 के पूर्वाह से आगामी आदेशों तक इस सिंववालय में 10,000-325-15,200/-रुपये के वेतनमान में संपादक के संवर्ग में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

प्र. रं. गुहाराय, निदेशक

सं. आरएस./3(xi)/2005/57-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापित ने राज्य सभा सचिवालय में 7,450-225-11,500/- रुपये के वेतनमान में कार्यरत अनुवादक, श्रीमती पूनम बधावन को 10 नवम्बर 2005 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस मचिवालय में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में सहायक संपादक के संवर्ग में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

प्र. रं. गुहाराय, निदेशक

दिनांक 21 नवम्बर 2005

सं. आरएस./6(i)/2005/59-कार्मिक--दिनांक 8 नवम्बर, 2005 की अधिसूचना सं. आर.एस./6(i)/2005/53-कार्मिक के अनुसरण में श्री अशोक कुमार आर्य को केन्द्रीय उत्पाद आयुक्त (अपील) अहमदाबाद के कार्यालय से कार्यमुक्त किए जाने पर, उन्हें दिनांक 19 नवम्बर, 2005 के पूर्वाह्न से प्रतिनियुक्ति और सह-पदावसान के आधार पर माननीय सभापित, राज्य सभा के वैयक्तिक स्टाफ में विशेष कार्य अधिकारी का पदभार ग्रहण कर लिया है।

प्र. रं. गुहाराय, निदेशक

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 16 नवम्बर 2005

सं. 2/89/74-प्रशासन-4--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, कार्यक्रम मूल्यांकन सगैठन (योजना आयोग) चेन्नई में कार्यरत श्री जी. सुब्रामन, आर्थिक अधिकारी दिनांक 30 नवम्बर, 2005 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो जाएंगे।

रवजीत सिंह, अवर सचिव

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 नवम्बर 2005

सं 2/21//2005-प्रशा. - राष्ट्रपति, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग में अनुभाग अधिकारी, श्री धनपत सिंह, को उक्तर पूर्वो क्षेत्र विकास मंत्रालय में दिनांक 26.10.2005 (पूर्वाह्न) से 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में अवर सचिव के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सजल मित्रा, निदेशक (प्रशा.)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 नवम्बर 2005

शुद्धिपत्र

सं. 14015/35/2001-अ.भा.से. (I) क--दिनांक 24 फरवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या 14015/35/2001-अ.भा.से. (1)-ख में चयन-सूची, 2001 के क्रम सं.-2 और चयन-सूची, 2002 के क्रिंम सं.-2 पर दर्शाए गए श्री तुला राम भट्ट और डॉ. दिलबाग सिंह अधिकारियों के नामों को क्रमश: श्री तुला राम भट्ट और डॉ. दिलबाग सिंह के रूप में ही पढ़ा जाए।

जगन लाल, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 22 नवम्बर 2005

सं. ए 14013/5/2005-अ.भा.से. III--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के विषय उक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिमलनाडु राज्य संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने दर्शायी गई तारीख से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	बैच	स्थायीकरण की तारीख
1.	श्री पी. इलंगो	1995	27.04.2002
2.	श्री जी. सुन्दरमूर्ति	1995	28.06.2002
3.	श्री वी कन्नुचामी	1996	26.02.2002
4.	श्री ए. रामलिंगम्	1996	26.02.2002
5.	श्री आर. वेंकटेशन	1996	26.02.2002
6.	श्री के. एस. मुध्यूस्वामी	1996	25.09.2003

- 2. क्रम. सं. 1 से 5 तक पर दिए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का स्थायीकरण तिमलनाडु राज्य सरकार द्वारा माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या 471/2001 के अन्तिम परिणाम के अधीन है।
- 3. श्री पी इलंगो का स्थायीकरण उनके विरुद्ध लम्बित अनुशासमिक् कार्रवाईयों के संबंध बिना किसी दुंधीर्वना के है।

भी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

नई दिल्ली-110067, दिनांक

नवम्बर 2005

सं. 13019/12/2002-अकादमी (डैस्क)--श्री आर. एस. दलाल, भा. पु. से (हरियाणा: 74) ने 02.09.2004 (अपराह्न) से लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में विधि के प्रोफेसर के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

आर. जया, उप सचिव

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 अक्तूबर 2005

सं. 110: (फा. सं. ए.-19014/18/2005-प्रशासन-1)--भारत के राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के शहरी विकास मंत्रालय संवर्ग के श्री अनिल कुमार यादव, अनुभाग अधिकारी की दिनांक 03.10.2005 (पूर्वाह) से संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2003 उत्तीर्ण किए जाने के आधार पर राजस्व विभाग में अनुभाग अधिकारी (चयन सूची-2003) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय के सामने श्री कैलाश चन्द्र और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य द्वारा दायर रिट याचिका सी सं. 13245-60/2005 के परिणाम के अधीन होगी।

प्रोति पंत, अवर सचिव

सं. 111: (फा. सं. ए.-19014/19/2005-प्रशासन-1)--भारत के राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वित्त संवर्ग के श्री मनी राम, सहायक को दिनांक 03.10.2005 (पूर्वाह्र) से संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2003 उसीर्ण किए जाने के आधार पर राजस्व विभाग में अनुभाग अधिकारी (चयन सूची-2003) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. केन्द्रीय सिचवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय के सामने श्री कैलाश चन्द्र और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य द्वारा दायर रिट याचिका सी सं. 13245-60/2005 के परिणाम के अधीन होगी।

प्रीति पंत. अवर सचिव

दिनांक 06 अक्तूबर 2005

सं. 113: (फा. सं. ए.-19014/6/91-प्रशासन-1)--गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, के दिनांक 08.07.2005 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/5/2005-रा.भा. (सेवा) के अनुसरण में राष्ट्रपित, केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा की अधिकारी श्रीमती ऋचा बैनर्जी को दिनांक 8.7.2005 से 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में राजस्व विभाग में उप-निदेशक (राजभाषा) के रूप में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं। प्रीति पंत, अवर सचिव

दिनांक 10 अक्तूबर 2005

सं. 114: (फा. सं. ए.-19011/22/2005-प्रशासन-1)--भारत के राष्ट्रपति, श्री अरुण भार्गव (भारतीय राजस्व सेवा: 1969) की दिनांक 06.10.2005 (अपराह्र) से और अगले आदेश होने तक सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में पदेन अपर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

प्रीति पंत, अवर सचिव

सं. 115: (फा. सं. ए.-19011/21/2005-प्रशासन-1)--भारत के राष्ट्रपति, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के अधिकारी (सेवानिवृत्त) श्री टी.जी. श्रीनिवासन की, दिनांक 28.09.2005 (पूर्वाह्र) से अथवा उनके द्वारा 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने अथवा अगले आदेश होने तक इनमें से जो भी पहले हो, दो वर्ष की अविध के लिए 26,000/- रुपये (निर्धारित) के वेतनमान में दिल्ली में आयकर लोकपाल (ऑम्बड्समैन) के रूप में नियुक्त करते हैं।

प्रीति पंत, अवर सचिव

दिनांक 14 अक्तूबर 2005

सं. 117: (फा. सं. ए.-19013/19/2005-प्रशासन-1)--भारत के राष्ट्रपति, श्री गौरव सिन्हा, भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) की दिनांक 06.10.2005 (पूर्वाह्व) से और अगले आदेशों तक, तीन वर्ष की अविध के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग में अवर सिचव के रूप में नियुक्त करते हैं। उनकी तैनाती अवर सिचव (सी.एस.-1) के रूप में की गई है।

प्रीति पंत, अवर सचिव

------दिनांक 18 अक्तूबर 2005

सं. 118: (फा. सं. ए.-19011/23/2005-प्रशासन-1)--भारत के राष्ट्रपति, श्री विवेक वाडेकर,भा.रा.से. (आयकर:91) को राजस्व विभाग में दिनांक 10.10.2005 (पूर्वाह्व) से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, 14,300-18,300/- रुपये के वेतनमान में अपर निदेशक, वित्तीय आसूचना एकक-भारत (वि.आ.ए. -भा.) के रूप में नियुक्त करते हैं।

प्रीति पंत. अवर सचिव

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नई दिल्ली, दिनांक 21 नवम्बर 2005

आयकर स्थापना

सं. 3/2005 (फा. सं. ए-11013/9/2001-प्रशासन-VII)--भारत के राष्ट्रपति, आयकर निदेशालय (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) नई दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता और बंगलौर, केन्द्रीय प्रतयक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के तुरन्त प्रभाव से गठन किए जाने को स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- 2. नई दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता स्थित अंतर्राष्ट्रीय कराधान निदेशालय तथा बंगलीर स्थित आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) के कार्यालय के क्षेत्राधिकार और कार्यों को पहले ही अधिसूचना संख्या 263/2001/एफ. सं. 187/5/001/आई. वे. ए.~! दिनांक 14.09.2001 के अनुसार अधिसूचित किया जा चुका है।
- 3. ये आयकर निदेशालय (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) नई दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता और आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), बंगलौर की अध्यक्षता आयकर निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), बंगलौर की अध्यक्षता आयकर निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) द्वारा की जाएगी जो आयकर आयुक्त के स्तर के अधिकारी होंगे।
- 4. आयकर निदेशानय (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) और आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), बंगलौर आयकर महानिदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), नई दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेंगे।
- 5. आयकर निदेश लय (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) के कर्मचारियों की आवश्यकता आयकर विभाग की कुल स्वीकृत संख्या में से पूरी की जाएगी।

अनिल बहुगुणा, उप-सचिव

सं. 4/2005 (फा. मं. ए-11013/9/2001-प्रशासन-VII)--राष्ट्रपति, आयकर (आधार संरचना) निदेशालय, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के तुरन्त प्रभाव से गठन की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- 2. आयकर निदेशालय (आधार संरचना) के कार्य निम्नानुसार होंगे :--
 - (i) आयकर विभाग हेतु अखिल भारतीय आधार पर निर्माण कार्य तैयार करना।
 - (ii) निर्माण कार्य को कार्यान्वित करना।
 - (iii) भवनों के निर्माण के संबंध में मुख्य आयकर आयुक्तों/आयकर आयुक्तों से प्राप्त हुए उनके प्रस्तावों की जांच करना जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं;
 - (क) आवास अनुसूची तैयार करना
 - (ख) योजनाओं और प्राक्कलनों की जांच करना
 - (ग) जहां कहीं भी आवश्यक हो, व्यय, वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त करना।
 - (iv) विभागीय भवनों के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के प्रस्तावों की जांच करना जिनमें कार्यालय आवश्यकताओं एवं कर्मचारियों की संख्या आदि के आधार पर आवासीय-स्थल की विस्तृत जांच शामिल है।

- (v) भवनों की खरीद संबंधी प्रस्तावों की जांच करना।
- (vi) विभागीय भवनों की मरम्मत तथा छोटे-मोटे कार्यों संबंधी प्रस्तावों की जांच करना।
- (vii) निर्माण, भूमि अधिग्रहण तथा भवनों की खरीद के संबंध में बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देना।
- (viii) कार्यालय/कार्यालय व आवासीय स्थल को किराए पर लेने संबंधी प्रस्तावों तथा संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों के संबंध में गोदामों की जांच करना।
- (ix) कर्मचारियों हेतु सहायता प्राप्त आवास की व्यवस्था करना।
- (x) भवनों की मांग और मांगी गई सम्पत्तियों के संबंध में मामले।
- (xi) आयकर विभाग के विभागीय पूल में आवासीय स्थल के आबंटन संबंधी नियम तैयार करना तथा इनकी व्याख्या करना।
- (xii) फालतू भूमि तथा भवनों का निपयन करना।
- (xiii) कार्यालय तथा आवासीय दोनों ही के बारे में विभागीय भवनों के संबंध में सभी विविध मामले।
- (xiv) विशेष भवनों में कार्यालयों की अवस्थिति के बारे में अभ्यावेदनों तथा शिकायतों पर कार्रवाई करना।
- (xv) संलग्न और अधीनवर्ती कार्यालयों के लिए वाहनों की खरीद, इनके बदलने और इन्हें किराये पर लेने संबंधी प्रस्तावों पर कार्रवाई करना।
- (xvi) आपातिक व्यय (टेलीफोन, फर्नीचर, स्टेशनरी, टाइपराइटर और पुस्तकें एवं प्रकाशन आदि)।
- (xvii) एयर कंडीशनर।
- (xviii) उपरोक्त विषयों पर संसद सदस्यों/मंत्रियों तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से प्राप्त संदर्भ।
- (xix) आयकर विभाग के विभिन्न कर्मचारी संगठनों से उपर्युक्त विषयों से संबंधित अभ्यावेदन।
- (xx) किसी विशेष भवन/भवनों में कार्यालयों की अवस्थिति के बारे में अभ्यावेदन और शिकायतें।
- (xxi) उपरोक्त विषयों के संबंध में संसदीय प्रश्न/कोई अन्य विषय।
- (xxii) ऐसा कोई अन्य मामला जो केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा सौंपा जाए।
- 3. आयकर निदेशालय (आधार संरचना) के प्रमुख एक आयकर निदेशक (आधार संरचना) होंगे जो आयकर आयुक्त के औहदे के होंगे और उनका कार्यालय नई दिल्ली में स्थित होगा।
- 4. आयकर निदेशालय, (आधार संरचना), आयकर महानिदेशक (प्रणाली) नई दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगा।
- 5. 3 करोड रुपये तक के व्यय संबंधी प्रस्ताव आयकर निदेशक, (आधार संरचना) द्वारा आयकर निदेशक (प्रणाली) को प्रस्तुत किए ाणे जो इन्हें सदस्य (कार्मिक) कीचीय प्रस्यक्ष कर बोर्ड को प्रस्तुत

करेगा जहां से इसे राजस्व विभाग के समेकित वित्त एकक को भेजा जाएगा। ऐसे प्रस्तावों पर आवश्यक स्वीकृति आदेश/आदेशों पर निदेशक (मुख्यालय), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पर उस समय तक हस्ताक्षर किए जाते रहेंगे जब तक निदेशक, आयकर (आधार संरचना) अथवा उनके नियंत्रण में कार्य कर रहे भारत सरकार के अवर सचिव के अथवा उससे बड़े औहदे के अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया जाता है।

6. आयकर निदेशालय (आधार संरचना) के कर्मचारियों की आवश्यकता आयकर विभाग की समग्र स्वीकृत नफरी से पूरी की जाएगी।

अनिल बहुगुणा, उप-सचिव

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 अक्तूबर 2005

सं. 4/12/2002-मुद्रा-II (बीएनपी)--राष्ट्रपति, बैंक नोट प्रेस, देवास, में सहायक अभियंता (सिविल) श्री के. के. गर्ग को दिनांक 21.07.2005 (पूर्वाह्र) से आगामी आदेश तक 8,000—15,000/- रुपये (संशोधित) के वेतनमान में नियमित आधार पर अभियंता (सिविल) के पद पर नियुक्त करते हैं।

एन. के. चौधरी, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 16 नवम्बर 2005

सं. 6/3/2005-एफबी-II--राष्ट्रपति, श्री धनेन्द्र कुमार को विश्व बैंक, बैंक मुख्यालय वाशिंगटन डी. सी. संयुक्त राज्य अमरीका, में भारत, बंगलादेश, श्रीलंका तथा भूटान के लिए कार्यकारी निदेशक के रूप में उनकी कार्य अवधि के दौरान राजदूत के रैंक के साथ उन्हें भारत सरकार का रेजिडेंट प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं।

एम. प्रसाद, संयुक्त सचिव

(व्यय विभाग)

महा लेखा नियंत्रक

नई दिल्ली-110003, दिनांक 11 नवम्बर 2005

सं. ए-32013/8/2005/ग्रुप ए/इंड/1360--राष्ट्रपति, भारतीय सिविल लेखा सेवा (समूह 'क') भर्ती नियमावली के अनुसार निम्नलिखित वरिष्ठ लेखा अधिकारियों (समूह 'ख') को 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमा में भारतीय सिविल लेखा सेवा (समूह 'क') के कनिष्ठ समयमान

में उनके किनष्ठ समयमान के पर्दों का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं :--

क्रम नाम सं.

सर्वश्री

- 1. के. जे. राममूर्ति
- 2. पुलक रंजन राय
- 3. देवेन्द्र सिब्बल
- 4. सुश्री आयशा जफर
- 5. आर. बी. दीक्षित
- 6. ऑकार सिंह भदोरिया
- 7. के. चंद्रशेखरन
- के. रामकृष्ण
- 9.' एस. धर्मलिंगम
- 10. डी. डी. देशपांडे
- 11. गुरबचन सिंह
- 12. रोशन लाल

परिवीक्षां की अवधि कनिष्ठ समयमान के पर्दो पर इनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष होगी।

रेणु सी. देशपांडे, उप महा लेखा नियंत्रक

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 अक्तूबर 2005

सं. ए 4/14/2005-ईपीजेड--राष्ट्रपित द्वारा श्री ए. के. बिट, आई.ए. एस. (उत्तर प्रदेश: 76) को दिनांक 18 अक्तूबर 2005 (पूर्वाह्र) से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, 18,400--22,400/- रुपये के वेतनमान में वाणिज्य विभाग के अधीन फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र, कोलकाता के विकास आयुक्त (संयुक्त सचिव स्तर) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

वी. रामाकृष्णन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 18 नवम्बर 2005

सं. ए-22015/1/98-ई-II--राष्ट्रपति द्वारा वाणिज्य विभाग में श्री आर. गोस्वामी, प्रधान निजी सचिव (स्वस्थाने) को दिनांक 21 नवम्बर, 2005 के पूर्वाह्न से 31.12.2005 तक की अवधि के लिए या नियमित आधार पर पद को भरे जाने तक या अगले आदेश होने तक, इनमें से जसे भी पहले हो, 10,000—15,200/ रुपये के वेतनमान में प्रधान निजी सचिव के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया जाता है।

श्री आर. गोस्वामी की नियुक्ति पूर्णत: तदर्थ आधार पर की गयी है और उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा सी. एस. एस. के निजी सिवव के ग्रेड में (प्रधान निजी सिवव के रूप में पदनामित) वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

डॉ. ए. आर. गोयल, उप-सचिव

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग नई दिल्ली, दिनांक 28 अक्तूबर 2005

सं. 7(8)/2005 सी.डी.एन.--श्री अशोक के महापात्र, भा. प्रशा. सेवा (एच.पी.: 71) की संसदीय कार्य मंत्रालय में सचिव के पद पर तैनाती हो जाने के फलस्वरूप उन्होंने 31 अगस्त, 2005, पूर्वाह से औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में टैरिफ आयोग के अध्यक्ष के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

जयप्रकाश, अवर सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय नई दिल्ली, दिनांक 14 अक्तूबर 2005

सं. ए-32011/8/2005-स्थापना--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.09.2005 के का. ज्ञा. संख्या 5/22/2005-सी.एस.-1 के अनुसरण में श्री दीन दमाल, इस्पात मंत्रालय के संवर्ग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सी.एस.एस.एस.) के आशुलिपिक ग्रेड भी को पेट्रेलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में 23.09.2005 के पूर्वाह से अगले आदेशों तक सी.एस.एस. के अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. यह नियुक्ति श्री कैलाश चन्द्र व अन्य द्वारा भारत संघ तथा अन्य के विरुद्ध माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल की गई रिट याचिका के परिणामों के अनुसार परिवर्तन के अधीन है।

तेजबीर सिंह, अवर सचिव

सं. ए-32011/8/2005-स्थापना--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.09.2005 के का. ज्ञा. संख्या 5/22/2005-सी.एस.-1 के अनुसरण में श्री अग्वा दत्ता बवारी, जल संसाधन मंत्रालय के संवर्ग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सी.एस.एस.एस.) के आशुलिपिक ग्रेड 'सी' को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में 26.09.2005 के पूर्वाह से अगले आदेशों तक सी. एस. एस. के अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. यह नियुक्ति श्री कैलाश चन्द्र व अन्य द्वारा भारत संघ तथा अन्य के विरुद्ध माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल की गई रिट याचिका के परिणामों के अनुसार परिवर्तन के अधीन है।

तेजबीर सिंह, अवर सचिव

सं. ए-32011/8/2005-स्थापना--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.09.2005 के का. ज्ञा. संख्या 5/22/2005-सी.एस.-1 के अनुसरण में श्री गोपाल लाल, गृह मंत्रालय के संवर्ग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी.एस.एस.) के सहायक को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में 30.09.2005 के पूर्वाह से अगले आदेशों तक सी. एस. एस. के अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. यह नियुक्ति श्री कैलाश चन्द्र व अन्य द्वारा भारत संघ तथा अन्य के विरुद्ध माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल की गई रिट याचिका के परिणामों के अनुसार परिवर्तन के अधीन है।

तेजबीर सिंह, अवर सचिव

दिनांक 18 अक्तूबर 2005

सं. ए-19011/5/2001-स्थापना--राष्ट्रपति, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, श्री चन्द्र गुप्त के अधिवर्षिता की आयु प्राप्न करने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, श्री चन्द्र गुप्त को 31 अक्तूबर, 2005 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं।

तेजबीर सिंह, अवर सचिव

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 अक्तूबर 2005

सं. 2(9)/2005-स्थापना(.)--राष्ट्रपति, इस्पात मंत्रालय में रसायन एवं उर्वरक तथा इस्पात मंत्री के वैयक्ति स्टाफ में सहायक निजी सचिव के रूप में श्री सुरेन्द्र सिंह पंवार को दिनांक 26.09.2005 (पूर्वाह्र) से माननीय मंत्री जी को उनकी सेवाओं की आवश्यकता होने तक या माननीय मंत्री जी के रसायन एवं उर्वरक तथा इस्पात मंत्री के रूप में बने रहने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

नवीन सोई, उप सचिव

खान मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 नवम्बर 2005

पी-1/382/2001-स्था.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, के दिनांक 15 सितम्बर, 2005 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/10/2005 - सी. एस. - I (i) द्वारा केन्द्रीय सिववालय सेवा (सी. एस. एस.) की ग्रेड - I की 1995 की प्रवरण सूची में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति श्री के. पी. मिश्रा को खान मंत्रालय में 01.07.1995 से नियमित आधार पर उप सिवव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. उप सचिव ग्रेड में उक्त अधिकारी का वेतन 01.07.1995 से किल्पत आधार पर निर्धारित किया जाएगा लेकिन वेतन और भत्तों का बकाया, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा केन्द्रीकृत रूप से जारी आदेश के आधार पर उप सचिव के रूप में उनकी प्रारंभिक तदर्थ नियुक्ति की तारीख से दिया जाएगा।

विनोद कुमार, निदेशक

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 जुलाई 2005

सं. ए-19011/22/2004-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री एस. सिद्धार्थ, आई. ए. एस. (बी. एच. 91) उप सचिव की अस्थाई रूप से उनके पद को वैयक्तिक रूप से उनके लिए अपग्रेड कर उन्हें 01 जुलाई, 2005 पूर्वाह से दिनांक 6.10.2007 तक की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारी उद्योग विभाग में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री एस: सिद्धार्थ की भारी उद्योग विभाग में उप सचिव के पद पर दिनांक 01 जुलाई 2005 पूर्वाह से कार्यमुक्त किया जाता है।

के. के. शर्मा, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 02 नवम्बर 2005

सं. ए. 31013/3/2005-सी. एच. एस.-V--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के सामने उल्लिखित तारीखों से केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेत्तर उप-संवर्ग के विशेषज्ञ ग्रेड-11 में स्थायी रूप से नियुक्त करते हैं :--

	-		
अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदनाम	विशेषज्ञता	विशेषज्ञ ग्रेड-!! (क. वेतनमान) के रूप में नियुक्ति की तारीख	स्थायीकरण की तारीख
डॉ. अजय कूमार शर्मा विशेषज्ञ ग्रेड-॥ (क. वेतनमान)	कार्य चिकित्सा	31.10.2003	31.10.2004
डॉ. विवेक दीवान विशेषज्ञ ग्रेड-।। (क. वेतनमान)	बाल रोग चिकित्सा	25.06.2003	25.06.2004

पी. वो. चक्रवर्ती, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 08 नवम्बर 2005

सं. ए. 32013/8/2005-स्थापना-1--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14 अक्तूबर 2005 के आदेश संख्या 21/24/2005-सी. एस.-1 के तहत केन्द्रीय सिचवालय सेवा के ग्रेड-1 (अवर सिचव) में तदर्थ आधार पर पदोन्नित हो जाने के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संवर्ग में अनुभाग अधिकारी श्री के.के गुप्ता को दिनांक 14 अक्तूबर, 2005 के पूर्वाह से आगामी आदेशों तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में पूर्णतया तदर्थ आधार पर अवर सिचव के पद पर नियुक्त करते हैं। यह तदर्थ पदोन्नित निम्निलखित शर्त के अध्यधीन है:--

- तदर्थ पदोन्नित से इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयनसूची में शामिल किए जाने अथवा ग्रेड- 1 में वरीयता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- 2. तदर्थ नियुक्ति को कोई कारण बताए बिना किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

पी. आर. ए. नायर, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 14 नवम्बर 2005

सं. ए. 11019/12/2005-एमई/सी.एच.एस.-II--सी.एच.एस. के सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उप-संवर्ग की अधिकारी डा. (श्रीमती) एस. पुष्पाबल्ली ने सीसीएस पेंशन नियमावली के नियम 48(क) के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के परिणामस्वरूप, दिनांक 18.08.2005 के पूर्वाह्न से जिपमेर, पाण्डिचेरी के अधीन अपर चिकित्सा अधीक्षक के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 16 नवम्बर 2005

सं. ए. 39012/2/2005-सी एच.एस.-Ii-- अपना त्यागपत्र स्वीकृत हो जाने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डा. (श्रीमती) एन.वी. जोशी ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मुम्बई के अधीन 16.09.2005 के अपराह्न से वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 18 नवम्बर 2005

सं ए. 38012/3/2004-सीएचएस-1--केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48-क के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत कार्यरत डा. (श्रीमती) निर्मल शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एनएफएसजी) (नियमित संवर्ग) ने दिनांक 08.02.2005 (पूर्वाह्र) से अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 21 नवम्बर 2005

सं ए. 12025/175/2004-सी.एच.एस.-1--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डा. उमा देवी आर. को 5 अक्तूबर, 2005 के पूर्वाह से केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8000-275-13,500 रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करके उन्हें आगामी आदेशों तक जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी में चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात करते हैं।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग (आयुष)

नई दिल्ली, दिनांक 08 नवम्बर 2005

सं ए. 38012/2/2005-आयुष (स्था.-II) (पार्ट)--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/13/2005-सी.एस. । दिनांक 03.11.2005 के अनुसरण में सी.सी.एस. (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48(1) (क) के उपबंधों के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप श्री बी.डी. बेरवाल, केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी जो आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपेथी (आयुष) विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप सचिव थे, 07.11.2005 से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए।

अंशुमन शर्मा, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्तूबर 2005

सं. 4-2/2005-मशीनरी (प्रशासन)--विभागीय प्रौन्नित सिमिति (वर्ग 'ख' राजपित्रत) की सिफारिश पर श्री प्रदीप कुमार सी. मेशराम, विरष्ठ तकनीकी सहायक, केन्द्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, बुदनी(म. प्र.) को पदोन्नित आधार पर सहायक इंजीनियर (क्रिमिक परीक्षण) के पद पर उत्तर-पूर्वी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, सोनितपुर (असम) में, 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में दिनांक 19.09.2005 (अपराह) से नियुक्त किया जाता है।

एच. सी बतरा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 18 अक्तूबर 2005

सं. 27-2622/2005-स्था.-1--राष्ट्रपति भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के निदेशक, डा. एस. नागराजन को दिनांक 14.10.2005 के पूर्वाह से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु तक अथवा आगामी आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, संविदा आधार पर 26,000/- रु. (निर्धारित) के वेतनमान में कृषि एवं सहकारिता विभाग के पौध किस्म संरक्षण और किसान अधिकार प्राधिकरण में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 24 अक्तूबर 2005

सं. 27-2623/2005-स्था.-I--राष्ट्रपति श्री एस. के पटनायक, आई ए एस (कर्नाटक : 82) को 24.10.2005 के पूर्वाह्न सै पांच वर्ष की अविध या आगामी आदेशों तक, दोनों में से जो भी पहले हो, के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग में 18,400-- 22,400/- रुपये के वेतनमान में मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन (संयुक्त सचिव के समस्तरीय) के पद पर नियुक्त करते हैं।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 2 नवम्बर 2005

सं. 38012/4/2005-स्था.-I--कृषि एवं सहकारिता विभाग के निजी सचिव, श्री सुधाकर भारद्वाज को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31 अक्तूबर, 2005 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता हैं।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

सं. 12022/7/2002-स्थापना-1--सीमित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने तथा वर्ष 2003 के लिये केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी की ग्रेड की चयन सूची में उनके नामों को शामिल किये जाने के फलस्वरूप राष्ट्रपति निम्नलिखित सहायकों (के.स.से.) को कृषि एवं सहकारिता विभाग में 6,500--10,500/- रु. (समूह 'ख' राजपत्रित) के वेतनमान में उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीख से तथा आगामी आदेशों तक अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं :---

	नाम	नियुक्ति की तारीख
	सुश्री 💳	
1.	मनजीत कुमार (रैंक नं. 056)	30.09.2005 (अपराह्र)
2.	प्रदीप कुमार (रैंक नं. 173)	30.09.2005 (अपराह्र)
3.	एम. ए. चौधरी (<mark>र</mark> ैंक नं. 042)	27.10.2005 (पूर्वाह्र)
4.	सुनील कुमार पाल	27.10.2005 (पूर्वाह्र)
	(रैंक नं. 154)	

2. उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष श्री कैलाश चन्द्र एवं अन्य द्वारा केन्द्र सरकार तथा अन्य के खिलाफ दायर की गई याचिका (सी) सं. 13245-60/ 2005 के मामले में प्राप्त होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 नवम्बर 2005

सं.4-10/2001-प्रशासन.I--केन्द्रीय सिववालय सेवा के नियमित ग्रेड-1 अधिकारी, श्री आर.एन. वासवानी का नाम वर्ष 1997 की चयन सूची में शामिल किए जाने के परिणाम-स्वरूप, राष्ट्रपति जी ने उन्हें मानव संसाधन विकाय मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में केन्द्रीय सिववालय सेवा के सेलेक्शन ग्रेड में (उप-सिवव पद पर) 1.7.1997 से नियमित आधार पर नियुक्त किया है।

यह अधिसूचना कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.9.2005 के का. ज्ञा. सं. 4/10/2005-सी.एस.-! (i) के अनुसरण में जारी की जा रही है।

आर. एस. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 22 नवम्बर 2005

सं. 4-18/2005-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, सुश्री मंजुला कृष्णन (भा. आ. से.) को 14 नवम्बर, 2005 के पूर्वाह से आगामी आदेश होने तक महिला एवं बाल विकास विभाग में 18,400-500-22,450 रुपये के वेतनमान में आर्थिक सलाहकार नियुक्त करते हैं। यह नियुक्ति आर्थिक-कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 8 नवम्बर, 2005 के आदेश सं. 13016/2/2005 के अनुसरण में की गई है।

आर. एस. शर्मा, अवर सचिव

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 9 नवम्बर 2005

सं. पी.एफ./एस./126-प्रशासन--राष्ट्रपति जी, श्री एस. वाई. कुरेशी, आई.ए.एस. (हरियाणा : 71) को दिनांक 9 नवम्बर, 2005 की पूर्वाह से युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में सचिव के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस. एस. शर्मा, उप सचिव

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 29 सितम्बर 2005

सं. पी.एफ.-2682/प्रशा. I--दूरसंचार विभाग के निजी सचिव श्री वी. के. विशष्ट अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर 30 सितम्बर, 2005 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त हो जाएंगे।

श्रीमती टी. कुन्दवी, अवर सचिव

सं. पी.एफ.-4727/प्रशा. I (भाग)--दूरसंचार अभियांत्रिकी केन्द्र, दूरसंचार विभाग के निजी सचिव श्री कुमार शर्मा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर 30 सितम्बर, 2005 के उपराह से सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त हो जाएंगे।

श्रीमती टी. कुन्दवी, अवर सचिव

दिनांक 4 अवतूबर 2005

सं. ए-32014/12/2003-प्रशा.-I--अनुभाग अधिकारी ग्रेड की सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2003 के परिणाम के आधार पर राष्ट्रपति, वस्त्र मंत्रालय के केन्द्रीय सिविल सेवा संवर्ग के श्री मदन चौरसिया, सहायक (रैंक नं. 22) को 26 सितम्बर, 2005 से संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में केन्द्रीय सिववालय सेवा के अनुभाग अधिकारी, (वेतनमान 6500-200-10500 रु.) के रूप में नियुक्त करते हैं।

- 2. उक्त अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षणाधीन रहेंगे।
- 3. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में श्री मदन चौरसिया की नियुक्ति, श्री केलाश चन्द्र और अन्य द्वारा भारत संघ और अन्य के खिलाफ माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका के निर्णय के अध्यधीन होगी।

श्रीमती टी. कुन्दवी, अवर सचिव

दिनांक 5 अक्तूबर 2005

सं. ए-32014/1/2004-प्रशा.1--राष्ट्रपति, दूरसंचार विभाग के केन्द्रीय सिचवालय आशुलिपिक सेवा के निम्निलिखित ग्रेड "ग" आशुलिपिकों को 6500-200-10,500 रु. के वेतनमान में उनके नाम के सामने दर्शाई गई 3 माह की अविध तक अथवा नियमित निजी सिचव [आशुलिपिक ग्रेड "क" और "ख" (आमेलित)] उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर बतौर निजी सिचव [आशुलिपिक ग्रेड "क" और "ख" (आमेलित)] स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की सहर्ष अनुमित प्रदान करते हैं :--

	अधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्री आर. डी. छदागुली	01.07.2005 से 29.09.2005
2.	श्री बी. वेणुगोपाल राव	01.07.2005 से 29.09.2005
3.	श्री एस. अनबरासन	01.07.2005 से 29.09.2005
4.	श्री गोपी चंद	01.07.2005 से 29.09.2005
5.	श्रीमती वीना वर्म	01.07.2005 से 30.09.2005
6.	श्री आर. के. शर्मी	01.07.2005 से 30.09.2005
7.	श्री विक्रम सोलिया	01.07.2005 से 13.07.2005
8.	श्रीमती सुनीता सिधु	01.07.2005 से 11.07.2005
9.	श्री वी. के. नायर	01.07.2005 से 10.07.2005

2. उक्त नियुक्तियां पूर्णतया तदर्थ आधार पर हैं तथा उक्त अधिकारियों को उक्त ग्रेड में आमेलन हेतु या निजी सचिव ग्रेड [आशुलिपिक ग्रेड ''क'' और ''ख'' (आमेलित)] में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

श्रीमती टी. कुन्दवी, अवर सचिव (प्रशा. I)

(डाक विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 24 अक्तूबर 2005

सं. 13-13/2004 एसपीजी--डाक विभाग में डाक सेवा समूह''ख'' के निम्नलिखित अधिकारियों को अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा से प्रत्येक के सामने उल्लिखित तिथि से सेवानिवृत्त किया गया है :

क्रम सं.	अधिकारी का	शम	सर्किल	जन्म तिथि	अधिवर्षिता की तिथि
1	2		3	4	5
	सर्वश्री				
1.	जी.बी. गधारी		महाराष्ट्र	11.01.1945	31.01.2005
2.	के.पी. सिंह		बिहार	03.01.1945	31.01.2005
3.	महेन्द्र रॉय		बिहार	03.01.1945	31.01.2005
4.	अशर्फी लाल		बिहार	31.01.1945	31.01.2005
5.	वेद प्रकाश		दिल्ली	28.06.1945	30.06.2005
6.	ए.ए. खान		जम्मू एवं कश्मीर	17.06.1945	30.06.2005
7.	जी. व. अप्पा र	व	उत्तर प्रदेश	15.07.1945	31.07.2005
8.	एस.एल. जैन		दिल्ली	01.08.1945	31.07.2005
9.	सी. कन्नाप्पन		तमिलनाडु	25.07.1945	31.07.2005

1	2	3	4	5
10.	बी.एम. बालासुब्रमणियन	तमिलनाडु	18.07.1945	31.07.2005
11.	बी.एन. प्रसाद	बिहार	01.08.1945	31.07.2005
12.	के. पर्वतेश्वर राव	महाराष्ट्र	13.08.1945	31.08.2005
13.	एन.सी. पॉल	असम	21.08.1945	31.08.2005
14.	आर.एन. सक्सेना	उत्तर प्र देश	10.08.1945	31.08.2005
15.	एस.आर. कुशवाहा	उत्तर प्रदेश	15.08.1945	31.08.2005

बी. पी. पंत, सहायक महानिदेशक (एसजीपी)

दिनांक 26 अक्तूबर 2005

सं. 1-44/2005-एसपीजी--राष्ट्रपति, श्री यू. एस. राघवन, भारतीय डाक सेवा (1969) को दिनांक 31.10.2005 के अपराह्न से सचिव, डाक विभाग तथा महानिदेशक (डाक) और पदेन अध्यक्ष, डाक सेवा बोर्ड के रूप में उनके अधिवर्षिता प्राप्त करने की अविध तक या आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

बी. पी. पंत, सहायक महानिदेशक (एसजीपी)

दिनांक 29 अक्तूबर 2005

सं. 1-47/96-एसपीजी--श्री एल. के. पुरी (भारतीय डाक सेवा-1968), मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, पंजाब सर्किल, चंडीगढ़ अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 31.10.2005 (अपराह्र) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

बी. पी. पंत, सहायक महानिदेशक (एसजीपी)

दिनांक 31 अक्तूबर 2005

सं. 26-26/2005-एसपीजी--डा. बी. नरसिम्हम, उपमहानिदेशक (चिकित्सा), आन्ध्र प्रदेश सर्किल, हैदराबाद, डाक विभाग अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 31.10.2005 (अपराह्र) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

बी. पी. पंत, सहायक महानिदेशक (एसजीपी)

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) नई दिल्ली, दिनांक 18 नवम्बर 2005

सं. ए-32013/3/2005-ई-I--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.09.2005 के का. ज्ञा. सं. 4/10/2005-सीएस I (i) में उल्लिखित आदेश के अनुसार, केन्द्रीय सचिवालय सेवा की चयन सूची, 1997 में नाम शामिल किए जाने के फलस्वरूप इस मंत्रालय के ग्रूप 'क'

अधिकारी श्री पी. एस. राणा को दिनांक 1.7.1997 से अगले आदेशों तक नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में नियुक्त करते हैं। चयन ग्रेड में उनकी वास्तविक नियुक्ति की तारीख कुछ भी हो, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड में उनकी वरिष्ठता एसएल आदेश 24/97 होगी।

ए. के. अग्रवाल, अवर सचिव

दिनांक 22 नवम्बर 2005

सं. ए-22011/2/2005-स्था. 1--राष्ट्रपति, श्रीमती मारग्रेट गंगटे को दिनांक 8.11.2005 (पूर्वाह) से 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) में अवर सचिव (सी.एस.एस. का ग्रेड-1) के पद पर नियुक्त करते हैं।

ए. के. अग्रवाल, अवर सचिव

सं. ए-19011/9/2005-स्था.1--राष्ट्रपति, श्री अरिवन्द कुमार (भारतीय आर्थिक सेवा के सीनियर प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी) को दिनांक 09.11.2005 (पूर्वाह्र) से 18,400-500-22,400/-रुपये के वेतनमान में पेात परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सलाहकार (टी. आर.) के पद पर नियुक्त करते हैं।

ए, के. अग्रवाल, अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi-110004, the 18th November 2005

No. A.34011/4/01-Admn.—Smt. S. R. Rakheja is appointed as Principal Private Secretary to Secretary to the President with effect from the forenoon of 1st November, 2005.

R. S. RANA, Under Secy. (Admn.)

RAJAYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 14th November 2005

No. RS/3(xiii)/2005/54-Perl.—The Hon'able Chairman Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Surinder Singh, Senior Security Assistant in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the cadre of Security Officer in that Secretariat in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from the forenoon of the 10th November, 2005 until further orders.

P. R. GUHAROY, Director

No. RS/3(xi)/2005/55-Perl.—The Hon'able Chairman Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Vijay Kant Shrivastava, Editor in the scale of pay Rs. 10,000-325-15,200/-in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the cadre of Senior Editor in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- in that Secretariat with effect from the forenoon of the 10th November, 2005 until further orders.

P. R. GUHAROY, Director

No. RS/3(xi)/2005/56-Perl.—The Hon'able Chairman Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Rajender Singh Bisht, Assistant Editor in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the cadre of Editor in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in that Secretariat with effect from the forenoon of the 10th November, 2005 until further orders.

P. R. GUHAROY, Director

No. RS/3(xi)/2005/57-Perl.—The Hon'able Chairman Rajya Sabha has been pleased to appoint Smt. Poonam Wadhwan, Translator in the scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/- in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the cadre of Assistant Editor in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in that Secretariat with effect from the forenoon of the 10th November, 2005 until further orders.

P. R. GUHAROY, Director

The 21st November 2005

No. RS/6(i)/2005/59-Perl.—In continuation of the notification No. RS/6(i)/2005/53-Perl dated 8th November, 2005, Shri Ashok Kumar Arya on being relieved from the office of the Commissioner of Central Excise (Appeals), Ahmedabad has assumed charge of the office of Officer on special Duty in the personal staff of Hon'ble Chairman Rajya Sabha on

deputation and co-terminus basis w.e.f. the forenoon of 19th November, 2005.

P. R. GUHAROY, Director.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 16th November 2005

No. 2/89/74-Admn.IV.—On attaining the age of superannuation, Shri G. Subramany, Economic Officer in the Regional Evaluation Office of the Programme Evaluation Organisation (Planning Commission) at Chennai, will retire from Government service with effect from the afternoon of 30th November, 2005.

RAVJIT SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

New Delhi, the 10th November 2005

No. 2/21/2005-Admn.—The President is pleased to appoint Sh. Dhanpat Singh, Section Officer in the Department of Road Transport & Highways as Under Secretary in the Ministry of Development of North Eastern Region in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect form 26.10.2005 (FN).

SAJAL MITTRA, Director (Admn.)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 22nd November 2005

CORRIGENDUM

No. 14015/35/2001-AIS(I)-A.—In notification No. 14015/35/2001-AIS(I)-B dated 24th February, 2004 the name of the officer appearing at S. No. 2 of 2001 Select List and the name appearing at S. No. 2 of Select List 2002 may be read as Shri Tula Ram Bhatt and Dr. Dilbag Singh instead of Shri Tula Ram Bhat and Dr. Dilbagh Singh respectively.

JAGANLAL, Under Secy.

New Delhi, the 22nd November 2005

No. 14013/05/2005-AIS-III.—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following members of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Tamil Nadu, with effect from the dates shown against them:—

Sl. No.	Name	Batch	Date of Confirmation
1	2	3	4
1.	Shri P. Ilango	1995	27.04.2002
2.	Shri G. Sundaramurthi	1995	28.06.2002

1	2	3	4
3.	Shri V. Kannuchamy	1996	26.02.2002
4.	Shri A. Ramalingam	1996	26,02.2002
5.	Shri R. Venkatesan	1996	26.02.2002
6.	Shri K. S. Muthuswaamy	1996	25.09.2003

- 2. The confirmation of the officers at Sl. No. 1 to 5 to IAS is subject to final outcome of writ petition No. 471/2001 filed by the State Govt. of Tamil Nadu before the Hon'ble Madras High Court
- 3. The confirmation of Shri P. Ilango is without prejudice to the disciplinary proceedings pending against him.

G.C. PANDEY, Under Secy.

New Delhi-110067, the 17th November 2005

No. 13019/12/2002-ACADEMY(DESK).—Shri R. S. Dalal, IPS (HY: 74) has relinquished the charge of the office of the Professor of Law in Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie w.e.f. 02-.09.2004 (afternoon).

R. JAYA, Dy. Secy.

MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 4th October 2005

No. 110: (F. No. A.19014/18/2005-Ad.I.).—The President of India is pleased to appoint Shri Anil Kumar Yadav, Section Officer, Ministry of Urban Development Cadre of Central Secretariat Service as Section Officer (SL/2003) in the Department of Revenue on the basis of qualifying the Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2003 w.e.f. 3.10.2005 (FN).

2. The appointment to the grade of Section Officers of Central Secretariat Service shall be subject to the outcome of the Writ Petition C. No. 13245-60/2005 filed by Shri Kailash Chander & Ors. Vs. Union of India & Ors. Before the Hon'ble High Court.

PREETI PANT, Under Secy.

No. 111: (F. No. A.19014/19/2005-Ad.I.).—The President of India is pleased to appoint Shri Mani Ram, Assistant, finance Cadre of Central Secretariat Service as Section Officer (SL/2003) in the Department of Revenue on the basis of qualifying the Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2003 w.e.f. 3.10.2005 (FN).

2. The appointment to the grade of Section Officers of Central Secretariat Service shall be subject to the outcome of the Writ Petition C. No. 13245-60/2005 filed by Shri Kailash Chander & Ors. Vs. Union of India & Ors. Before the Hon'ble High Court.

PREETI PANT, Under Secy.

The 6th October 2005

No. 113: (F. No. A.19014/6/91-Ad.I.).—In pursuance of Ministry of Home Affairs, Department of Official Language Office Memorandum No. 5/5/2005-O.L. (Service) dated 8.7.2005 the President is pleased to appoint Smt. Richa Banerjee, an officer of Central Secretariat Official Language Service, as Deputy Director (Official Language) in the Department of Revenue in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- w.e.f. 8.7.2005, on regular basis.

PREETI PANT, Under Secy.

The 10th October 2005

No. 114: (F. No. A. 19011/22/2005-Ad.I.).—The President of India is pleased to appoint Shri Arun Bhargava, (IRS: 1969), as Member, Central Board of Direct Taxes and Exofficio Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue with effect from 06.10.2005 (AN) and until further orders.

PREETI PANT, Under Secy.

No. 115: (F. No. A. 19011/21/2005-Ad.I.).—The President of India is pleased to appoint Shri T. G. Srinivasan, Indian Audit & Accounts Service (Retd), as Income Tax Ombudsman at Delhi in the pay scale of Rs. 26,000/- (fixed) for a period of 2 years with effect from 28.09.2005 (FN) or till he attains the age of 65 years or until further orders, whichever event takes place earlier.

PREETI PANT, Under Secy.

The 14th October 2005

No. 117: (F. No. A.19013/19/2005-Ad.I.).—The President of India is pleased to appoint Shri Gaurav Sinha, IRS [C&CE] as Under Secretary in the Central Board of Excise & Customs, Department of Revenue for a period of three years w.e.f. 06.10.2005 (FN) and until further orders. He is posted as Under Secretary (CX-I).

PREETI PANT, Under Secy.

The 18th October 2005

No. 118: (F. No. A. 19011/23/2005-Ad. I)—The President of India is pleased to appoint Shri Vivek Wadekar, IRS, (IT: 91), as Additional Director, Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND), in the Department of Revenue in the pay scale of Rs. 14300-18300/-, with effect from 10.10.2005 (FN) for a period of one year or until further orders, whichever is earlier.

PREETI PANT, Under Secy.

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 21st November 2005

INCOME TAX ESTABLISHMENT

No. 3/2005 (F. No. A-11013/09/2001-Ad. VII)—The President of India is pleased to give his assent to the constitution of the Directorates of Income Tax (International Taxation) New Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkatta, and Bangalore, Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue, Ministry of Finance, with immediate effect.

- 2. The jurisdiction and functions of the Directorate of International Taxation located in New Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkatta and the Office of Commissioner (International Taxation) at Bangalore, have already been notified vide Notification number 263/2001/F.No. 187/5/001/ITA-I dated 14.09.2001.
- 3. The Directorate (s) of Income Tax (International Taxation), New Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkatta and Commissioner of Income Tax (International Taxation) Bangalore, will be headed by Directors of Income Tax (International Taxation) who will be an officer of the level of Commissioner of Income Tax.
- 4. These Directorates of Income Tax (International Taxation) and Commissioner of Income Tax (International Taxation) Bangalore, will function under the administrative control of the Director General of Income Tax (International Taxation), New Delhi.
- 5. The staff requirement of the Directorate of Income Tax (International Taxation) will be met from within the overall sanctioned strength of the Income Tax Department.

ANIL BAHUGUNA, Dy. Secy.

No. 4/2005 (F. No. A-11013/9/2001-Ad. VII)—The President of India is pleased to give his assent to the constitution of the Directorate of Income Tax (Infrastructure), Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue, Ministry of Finance, with immediate effect.

- 2. The functions of the Directorate of Income Tax (Infrastructure) shall be as under:
 - Drawing up of construction programme for the Income Tax Department on all India basis.
 - (ii) Implementation of the construction programme.
 - (iii) Examination of individual proposals received from Chief Commissioners of Income Tax/Commissioners of Income Tax regarding construction of buildings involving:
 - (a) Drawing up a schedule of accommodation
 - (b) Scrutiny of plans and estimates
 - (c) Securing approval of Expenditure Finance Committee where necessary
 - (iv) Secrutiny of proposals regarding acquisition of land for construction of departmental buildings involving detailed examination of requirements of office and

- residential accommodation based on staff strength, etc.
- (v) Examination of proposals regarding purchase of buildings.
- (vi) Examination of proposals regarding repairs of departmental buildings and minor works.
- (vii) Finalization of budget proposals in respect of construction, acquisition of land and purchase of buildings.
- (viii) Examination of proposals regarding hiring of office/office-cum-residential accommodation and godown accommodation in respect of the attached and subordinate offices.
 - (ix) Provision of subsidized accommodation to the staff.
 - (x) Cases regarding requisitioning of buildings and cases of requisitioned properties.
 - (xi) Framing and interpretation of rules regarding allotment of residential accommodation in the departmental pool of the Income Tax Department.
- (xii) Disposal of surplus lands and buildings.
- (xiii) All miscellaneous matters in respect of departmental buildings both office and residental.
- (xiv) Processing representations and complaints regarding location of offices in particular buildings.
- (xv) Processing proposals for purchase, replacement and hiring of vehicles for the attached and subordinate offices.
- (xvi) Contingent expenditure (telephone, furniture, stationary, typewriters and books and publications, etc.)
- (xvii) Air-conditioners.
- (xviii) References from MPs/Ministers and other V1Ps on the above subjects.
- (xix) Representations pertaining to the above subjects from the various staff associations of the Income Tax Department.
- (xx) Representations and complaints regarding location of offices in particular building (s).
- (xxi) Parliament questions/any other matter related to the Parliament with regard to the above subjects.
- (xxii) Any other matter which may be specially assigned by the CBDT.
- 3. The Directorate of Income Tax (Infrastructure) will be headed by a Director of Income Tax (Infrastructure) who will be an officer of the level of Commissioner of Income Tax and will be located in New Delhi.
- 4. The Directorate of Income Tax (Infrastructure) will function under the administrative control of the Director General of Income Tax (Systems), New Dollie.

- 5. The proposals involving expenditure up to Rs. 3 Crore will be put up by the Director of Income Tax (Infrastructure) to Director General of Income Tax (Systems), who will put up the same to member (Personnel), Central Board of Direct Taxes, from where it will go to Integrated Finance Unit, Department of Revenue. The necessary sanction order (s) on such proposal will be signed by the Director (Head Quarter), Central Board of Direct Taxes, till Director of Income Tax (Infrastructure) or an officer working under him of the level of Under Secretary to the Government of India and above is authorize to do so by the competent authority.
- 6. The staff requirement of the Directorate of Income tax (Infrastructure) will be met from within the overall sanctioned strength of the Income tax Department.

ANIL BAHUGUNA, Dy. Secy.

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 27th October 2005

No. 4/12/2002-Cy-II(BNP)—The President is pleased to appoint Shri K.K. Garg, Asstt. Engineer (Civil), to the post of Engineer (Civil) in the scale of pay of Rs. 8000-15,000 (revised) in the Bank Note Press, Dewas, w.e.f. 21.07.2005 (forenoon), on regular basis and until further orders.

N.K. CHOUDHARY, Dy. Secy.

New Delhi, the 16th November 2005

No. 6/3/2005-FB-II—The President is pleased to designate Shri Dhanendra Kumar as Government of India's Resident Representative with the rank of Ambassador, during his tenure as Executive Director for India, Bangladesh, Sri Lanka and Bhutan in the World Bank, at the Bank's Headquarters at Washington D.C. in the United States of America.

M. PRASAD, Jt. Secy.

(DEPARTMENT OF EXPENDITURE) CONTROLLER GENERAL OF ACCOUNTS

New Delhi-110003, the 11th November 2005

No. A-32013/8/2005/Gr.A/Ind/1360.—The President is pleased to appoint, on probation, the following Sr. Accounts Officers (Group 'B') to the Junior Time Scale of ICAS (Group 'A') in the pay scale of Rs. 8000-275-13500, in terms of the Indian Civil Accounts Service (Group 'A') Recruitment Rules with effect from the dates of their taking over of the charge of the post in the JTS:—

S. No	o. Names	
l	2	
	S/Shri	
1.	K. J. Ramamurthy	
2.	Pulak Ranjan Roy	

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1	2
3.	Devender Sibbal
4.	Ms. Ayesha Jaffar
5.	R. B. Dixit
6.	Onkar Singh Bhadoria
7.	K. Chandrasekharan
8.	K. Ramakrishna
9.	S. Dharmalingam
10.	D. D. Deshpande

The period of probation shall be two years from the dates of their taking over of the charge of the post in the JTS.

Gurbachan Singh

Roshan Lal

12.

RENU C. DESHPANDE, Dy. Controller General of Accounts

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 27th October 2005

No. A-4/14/2005-EPZ.—The President is pleased to apppoint Shri A. K. Bit, IAS (UP: 76) as Development Commissioner, Falta Special-Economic Zone, Kolkata, (Joint Secretary level) under Department of Commerce, in the pay scale of Rs. 18,400–22,400/- for a period of five years or until further order, whichever event takes place earlier, with effect from 18.10.2005 (FN).

V. RAMAKRISHNAN, Under Secy.

New Delhi, the 18th November 2005

No. A-22015/1/98-E.II.—The President is pleased to appoint Shri R. Goswami, PPS (in-situ) as Principal Private Secretary in the Department of Commerce with effect from the forenoon of the 21st November, 2005 on ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 10000-15200 for the period upto 31.12.2005 or till the posts are filled up on regular basis or till further orders, whichever is earlier.

The appointment of Shri R. Goswami is purely on ad-hoc basis and will not confer any right on him to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the Private Secretary's Grade (Designated as Principal Private Secretary) of CSSS.

Dr. A. R. GOYAL, Dy. Secy.

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY & PROMOTION)

New Delhi, the 28th October 2005

No. 7(8)/2005-CDN.—Consequent upon his posting as Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs, Shri Asok K.

Mohapatra, IAS (HP: 71) has relinquished the charge of Chairman, Tariff Commission, in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry w.e.f. the forenoon of 31st August, 2005.

JAI PRAKASH, Under Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 14th October 2005

No. A-32011/8/2005-Estt.—In terms of Department of Personnel & Training's OM No. 5/22/2005-CS.I dated 14.09.2005, the President is pleased to appoint Shri Deen Dayal, Steno Grade 'C' of the Central Secretariat Stenographer Service (CSSS) borne on the cadre of Ministry of Steel as Section Officer of CSS in the Ministry of Petroleum & Natural Gas in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. the forenoon of 23.09.2005 until further orders.

2. The appointment is subject to change in accordance with the outcome of the Writ Petition (C) No. 13245-60/2005 filed by Shri Kailash Chander & Ors. Vs. Union of India & Ors. before the Hon'ble Delhi High Court.

TAJBIR SINGH, Under Secy.

No. A-32011/8/2005-Estt.—In terms of Department of Personnel & Training's OM No. 5/22/2005-CS.I dated 14.09.2005, the President is pleased to appoint Shri Amba Dutt Bawari, Steno Grade 'C' of the Central Secretariat Stenographer Service (CSSS) borne on the cadre of Ministry of Water Resources as Section Officer of CSS in the Ministry of Petroleum & Natural Gas in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. the forenoon of 26.09.2005 until further orders.

2. The appointment is subject to change in accordance with the outcome of the Writ Petition (C) No. 13245-60/2005 filed by Shri Kailash Chander & Ors. Vs. Union of India & Ors. before the Hon'ble Delhi High Court.

TAJBIR SINGH, Under Secv.

No. A-32011/8/2005-Estt.—In terms of Department of Personnel & Training's OM No. 5/22/2005-CS.I dated 14.09.2005, the President is pleased to appoint Shri Gopal Lal, Assistant of the Central Secretariat Service (CSS) borne on the cadre of Ministry of Home Affairs as Section Officer of CSS in the Ministry of Petroleum & Natural Gas in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. the forenoon of 30.09.2005 until further orders.

2. The appointment is subject to change in accordance with the outcome of the Writ Petition (C) No. 13245-60/2005 filed by Shri Kailash Chander & Ors. Vs. Union of India & Ors. before the Hon'ble Delhi High Court.

TAJBIR SINGH, Under Secy.

The 18th October 2005

No. A-19011/5/2001-Estt.— Consequent upon attaining the age of superannuation by Shri Chander Gupt, Senior Principal Private Secretary, in the Ministry of Petroleum & Natural Gas, the President is pleased to permit Shri Chander Gupt, Senior Principal Private Secretary to retire from Government Service w.e.f the afternoon of 31st October, 2005.

TAJBIR SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 28th October 2005

No. 2(9)/2005-Estt.(.)—The President is pleased to appoint Shri Surendra Singh Panwar as Assistant Private Secretary on the Personal Staff of Minister of Chemicals and Fertilizers and Steel in the Ministry of steel with effect from 26.9.2005 (FN) till his Services are required by the Hon'ble Minister or till the Hon'ble Minister holds the office of Minister of Chemicals and Fertilizers and Steel or until further orders whichever event takes place the earliest.

NAVIN SOI, Dy. Secy.

MINISTRY OF MINES

New Delhi, the 16th November 2005

No. P-1/382/2001-Estt.— Consequent upon his inclusion in the Select List of 1995 of Grade-1 Central Secretariat Service (CSS) vide Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel & Training's O.M. No. 4/10/2005-CS.1(i) dated 15th September, 2005, the President is pleased to appoint Shri K.P. Mishra as Deputy Secretary in the Ministry of Mines on regular basis w.e.f. 01.07.1995.

2. The pay of the above officer in the Duputy Secretary Grade will be fixed from 01.07.1995, on notional basis but arrears of pay and allowances will be given from the date of his initial appointment as Deputy Secretary on ad -hoc basis ordered centrally by the Department of Personnel & Training.

VINOD KUMAR, Director

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES & PUBLIC ENTERPRISES (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY)

New Delhi, the 14th July 2005

No. A-19011/22/2004. Admn.—The President is pleased to appoint Shri S. Siddharth, IAS (BH:91), Deputy Secretary as Director against the temporarily upgraded post of Director as personal to him in the Department of Heavy Industry with effect from the forenoon of 1.7.2005 and upto 6.10.2007 or until further orders, whichever event takes place earlier.

2. Shri S. Siddharth relinquished the charge of the post of Deputy Secretary in the Department of Heavy Industry with effect from the forenoon of 1st July, 2005.

K. K. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi, the 2nd November 2005

No. A-31013/3/2005-CHS.V.—The President is pleased to appoint substantively the following officers in the Specialist Gr. II of Non-teaching Sub-cadre of the Central Health Services with effect from the date mentioned against their names:—

SI. No.	Name of the officer & Present Designation	Speciality	Date of Appointment : Specialist Grad (Jr. Scale)	
1.	Dr. Ajay Kumar Sharma, Splt. Gr. II (Jr. Scale)	Medicine	31.10.2003	31.10.2004
2.	Dr. Vivek Dewan, Splt. Gr. II (Jr. Scale)	Paediatrics	25.06.2003	25.06.2004

P. K. CHAKRABARTI, Under Secy.

New Delhi, the 8th November 2005

No. A-32013/8/2005-E-1.—Consequent upon his promotion to Grade-1 (Under Secretary) of CSS on ad-hoc basis vide Department of Personnel & Training's Order No. 21/24/2005-CS.I dated 14th October, 2005 the President is pleased to appoint Shri K. K. Gupta, Section Officer of the Cadre of Ministry of Health and Family Welfare, as Under Secretary in the Department of Health and Family Welfare, purely on ad-hoc basis, w.e.f. the forenoon on 14th October, 2005 and until further orders. the ad-hoc promotion is subject to the following condition:—

- The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select list for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I.
- 2. Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.

P. R. A. NAIR, Under Secy.

New Delhi, the 14th November 2005

No. A-11019/12/05-ME/CHS.II.—Consequent on her proceeding on voluntary retirement under Rule 48 (A) of CCS Pension Rules, Dr. (Mrs.) S. Pushpavalli, an officer of General Duty Medical Officer Sub-cadre of Central Health Service relinquished the charge of the Apost of Additional Medical

Superintendent, under JIPMER, Pondicherry on the forenoon of 18.08.2005.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

The 16th November 2005

No. A-39012/2/05-CHS.II.—Consequent on the acceptance of her resignation Dr. (Mrs.) N. V. Joshi, relinquished the charge of the post of Senior Medical Officer of Central Health Service under the CGHS, Mumbai on the afternoon of 16.09.2005.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

The 18th November 2005

No. A-38012/3/2004-CHS.I.—Consequent upon voluntary retirement under Rule 48A of CCS (Pension) Rules, 1972, Dr. (Mrs.) Nirmal Sharma, CMO (NFSG), (regularised cadre) working under GNCT of Delhi, relinquished the charge of the post on 8.2.2005 (FN).

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

The 21st November 2005

No. A-12025/175/2004-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Uma Devi R. to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the seale of pay of Rs. 8,000-275-13,500 in a temporary capacity with effect from forenoon of the 5th October, 2005 and post her as Medical Officer in Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Pondicherry until further orders.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF AYURVEDA, YOGA & NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

New Delhi, the 8th November 2005

No. A-38012/2/2005-AYUSH(E-II)(Pt.).—In pursuance of Department of Personnel & Training's Office Memorandum No. 3/13/2005-CS.I dated 03.11.2005, accepting the notice for voluntary retirement under the provisions of Rule 48(1)(a) of CCS (Pension) Rules, 1972, Shri B. D. Berwal, an officer belonging to Central Secretariat Service, Deputy Secretary, in the Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH), M/o Health & Family Welfare retired from Government Service with effect from 07.11.2005.

ANSHUMANN SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE (DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 9th October 2005

No. 4-2/2005. My(Adm.).—On the recommendation of Departmental Promotion Committee (Group 'B' Gazetted) Shri Pradeep Kumar C. Meshram, Senior Technical Assistant, Central Farm Machinery Training and Testing Institute, Budni (MP) is appointed as Assistant Engineer (Series Testing) on promotion basis at North Eastern Region Farm Machinery Training & Testing Institute, Sonitpur (Assam) in the scale of pay of Rs. 6500-200 10500/- w.e.f. 19.9.2005 (AN).

H. C. BATRA, Under Secv.

New Delhi, the 18th October 2005

No.27-2622/2005-E-I.—The President is pleased to appoint Dr. S. Nagarajan, Director, Indian Agricultural Research Institute, New Delhi as Chairperson, Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority in the Department of Agriculture & Cooperation in the scale of Rs. 26000/- (fixed) on contract basis with effect from the forenoon of 14.10.2005 for a period of five years or upto the age of 65 years or until further orders, whichever is the earliest.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 24th October 2005

No. 27-2623/2005-E-I.—The President is pleased to appoint Shri S. K. Pattanayak, IAS (KN: 82) as Mission Director, National Horticulture Mission (Jnint Secretary level) in the Department of Agriculture & Cooperation in the scale of Rs. 18400-22400/- with effect from the forenoon of 24.10.2005 for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 2nd November 2005

No. 38012/4/2005. E.I.—Shri Sudhakar Bhardwaja, Private Secretary in Department of Agriculture & Cooperation retire from Government Service with effect from the afternoon of 31st October, 2005 on attaining the age of superannuation.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

No. 12022/7/2002 E-I.—Consequent upon their qualifying the Combined Limited Departmental Examination and inclusion of their names in the Select List of Section Officers' Grade of the Central Secretariat Service for the year 2003, the President is pleased to appoint the following Assistants (CSS) as Section Officers in the pay scale of Rs. 6,500-10,500/- (Group 'B' Gazetted) in the Department of

Agriculture & Cooperation with effect from the dates indicated against their names and until further orders:—

SI. No.	Name	Date of appointment	
	S/Shri		
1.	Manjeet Kumar (Rank No. 056)	30.09.2005 (AN)	
2.	Pradeep Kumar (Rank No. 173)	30.09.2005 (AN)	
3.	M. A. Chaudhury (Rank No. 042)	27.10.2005 (FN)	
4.	Sunil Kumar Pal (Rank No. 154)	27.10.2005 (FN)	

2. The appointment of the above mentioned officers is subject to the final outcome of the Writ Petition (C) No. 13245-60/2005 filed by Shri Kailash Chander & Others Vs. Union of India & Others before the Hon'ble Delhi High Court.

P. VIJAYKUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT)

New Delhi, the 21st November 2005

No. 4-10/2001-Admn.—Consequent upon inclusion of his name in the Select List for the year 1997, the President is pleased to appoint Shri R. N. Vaswani, regular Grade-I Officer of the Central Secretariat Service to Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretariat Service on regular basis in the Ministry of Human Resource Development (Department of Women and Child Development) with effect from 1.7.1997.

This issues in pursuance of Department of Personnel and Training O.M. No. 4/10/2005-CSI-(i) dated 15.9.2005.

R. S. SHARMA, Under Secy.

The 22nd November 2005

No.4-18/2005-Admn.—In pursuance of Department of Economic Affairs, Ministry of Finance Order No. 13016/2/2005 dated 8th November 2005, the President is pleased to appoint Mrs. Manjula Krishnan (IES) as Economic Adviser in the Department of Women and Child Development in the scale of pay of Rs. 18400-500-22400/- with effect from the forenoon of 14th November, 2005 and until further orders.

R. S. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

New Delhi-110001, the 9th November 2005

No. PF/S/126-Admn.—The President is pleased to appoint Shri S. Y. Quraishi, IAS (HY: 71) as Secretary in the Ministry of Youth Affairs and Sports with effect from the forenoon of 9th November, 2005.

S. S. SHARMA, Dy. Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110001, the 29th September 2005

No. PF-2682/Admn.I.—On attaining the age of superannuation, Shri V. K. Vashist, Private Secretary, Department of Telecommunications shall stand retired from Government service with effect from the afternoon of 30th September, 2005.

(SMT.) T. KUNDHAVI, Under Secy.

No. PF-4727/Admn.I.(Pt.)—On attaining the age of superannuation, Shri Kumar Sharma, Private Secretary, TEC, Department of Telecommunications shall stand retired from Government service with effect from the afternoon of 30th September, 2005.

(SMT.) T. KUNDHAVI, Under Secy.

The 4th October 2005

No. A-32014/12/2003-Admn.I.—On the basis of the results of Section Officers' Grade Limited Departmental Competitive Examination, 2003, the President is pleased to appoint Shri Madan Chaurasia, Assistant (Rank No. 22) of CSS cadre of the Ministry of Textiles as Section Officer of CSS cadre in Department of Telecommunications, Ministry of Communications & Information Technology in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- with effect from 26th September, 2005.

- 2. The officer shall be on trial for a period of two years.
- 3. The appointment of Shri Madan Chaurasia to the grade of Section Officer of CSS shall be subject to the outcome of the Writ Petition (C) No. 13245-60/2005 filed by Shri Kailash Chander & Ors. Vs. Union of India & Ors. before the Hon'ble Delhi High Court.

(SMT.) T. KUNDHAVI, Under Secy.

The 5th October 2005

No. A-32014/1/2004-Admn.I.—The President is pleased to permit the following Stenographer Grade 'C' of CSSS cadre of Department of Telecommunications to officiate as Private Secretary [Stenographer Grade 'A&B' (Merged)] on ad hoc basis in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- in the cadre of Department of Telecommunications for a period of 3 months as indicated against each or till the availability of regular

Private Secretary [Stenographer Grade 'A&B' (Merged)] or until further orders, whichever is earlier:—

Sl. Name of the Officer No.	Period		
1. Shri R. D. Chhadaguli	01.07.2005 to 29.09.2005		
2. Shri B. Venugopala Rao	01.07.2005 to 29.09.2005		
3. Shri S. Anbarasan	01.07.2005 to 29.09.2005		
4. Shri Gopi Chand	01.07.2005 to 29.09.2005		
5. Smt. Veena Verma	01.07.2005 to 30.09.2005		
6. Shri R. K. Sharma	01.07.2005 to 30.09.2005		
7. Shri Vikram Solia	01.07.2005 to 13.07.2005		
8. Smt. Sunita Sidhu	01.07.2005 to 11.07.2005		
9. Shri V. K. Nayar	07.07.2005 to 10.07.2005		

2. The above appointments are purely on ad hoc basis and will not confer any right on the officers for absorption in the grade or to claim seniority in the Private Secretary Grade {Stenographer Grade 'A&B' (Merged)}.

(SMT.) T. KUNDHAVI, Under Secy. (Admn.I)

(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110001, the 24th October 2005

No. 13-13/2004-SPG.—The following officers of Postal Service Group 'B' in the Department of Posts have been retired from the Govt. Service w.e.f. the date mentioned against each consequent on attaining the age of superannuation:—

SI. No.	Name of the Officer	Circle	Date of Birth	Date of Super- annuation
1	2	3	4	5
	S/Shri			
1.	G.B. Gadhari	Mah	11.01.1945	31.01.2005
2.	K. P. Singh	Bihar	03.01.1945	31.01.2005
3.	Mahendra Roy	Bihar	03.01.1945	31.01.2005
4.	Asharfi Lal	Bihar	31.01.1945	31.01.2005
5.	Ved Prakash	Delhi	28.06.1945	30.06.2005
6:	A. A. Khan	J&K	17.06.1945	30.06.2005
7.	G. Ch. Appa Rao	ÀΡ	15.07.1945	31.07.2005
8.	S. L. Jain	Delhi	01.08.1945	31.07.2005
9.	C. Kannappan	TN	25.07.1945	31.07.2005
10.	B. M [°] .	TN	18.07.1945	31.07.2005

			•	
1 2		3	4	5
11. B.N.Pi	asad	Bihar	01.08.1945	31.07.2005
12. K. Parv Rao	atheswara	Mah	13.08.1945	31.08.2005
13. N. C. Pa	ul	Assam	21.08.1945	31.08.2005
14. R. N. Sa	xena	UP	10.08.1945	31.08.2005
15. S. R. Kı	ıshwaha	UP	15.08.1945	31.08.2005
		D D I		

B. P. PANT, Asstt. Dir. Genl. (SGP)

The 24th October 2005

No. 1-47/96-SPG.—Sh. L. K. Puri (IPoS-1968), Chief Postmaster General, Punjab Circle, Chandigarh will retire on superannuation from Government service w.e.f. 31.10.2005 (AN).

B. P. PANT, Asstt. Dir, Genl (SGP)

The 26th October 2005

No. 1-44/2005-SPG—The President is pleased to appoint Dr. U. S. Raghavan, IPoS (1969) as Secretary, Department of Posts and Director General (Posts) and ex-officio Chairman, Postal Services Board with effect from the afternoon of 31.10.2005 for a period until his superamuation, or until further orders, whichever is earlier.

B. P. PANT, Asstt. Dir. Genl. (SGP)

The 31st October 2005

No. 26-26/2005-SPG—Dr. B. Narasimham, DDG (Medical), A. P. Circle, Hyderabad in Department of Posts is retiring from Govt. service w.e.f. 31.10.2005 (AN) on attaining the age of superannuation.

B. P. PANT, Asstt. Dir. Genl (SGP)

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

(DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS)

New Delhi, the 18th November 2005

No. A-32013/3/2005-E-I.—Consequent upon inclusion of his name in the Select List of 1997 for Selection Grade of Central Secretariat Service (CSS) as per orders contained in Department of Personnel & Training's O. M. No. 4/10/2005-CS.I(i) dated 15.09.2005, the President is pleased to appoint Shri P. S. Rana, a Group-A officer of this Department to the Selection Grade of CSS (Deputy Secretary) on regular basis w.e.f. 01.07.1997, till further orders. His seniority in Selection Grade of CSS will be the Sl. Order 24/97, irrespective of his actual date of appointment to the Selection Grade.

A. K. AGGARWAL, Under Secv.

The 22nd November 2005

No. A-22011/2/2005-E.I.—The President is pleased to appoint Smt. Margaret Gangte as Under Secretary (Grade I of CSS) in the pay scale of Rs. 10000-325-15200/- in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport & Highways) w.e.f. 08.11.2005 (FN).

A. K. AGGARWAL, Under Secy.

No. A-19011/9/2005-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Arvind Kumar (Senior Administrative Grade Officer of Indian Economic Service) as Adviser (TR) in the pay scale of Rs. 18400-500-22400/- in Ministry of Shipping, Road Transport and Highways w.e.f. 09.11.2005 (FN).

A. K. AGGARWAL, Under Secy.